भारत बंद के चलते राजस्थान में हाई अलर्ट

चर्चा में क्यों?

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित **भारत बंद** के बाद राजस्थान में **हाई अलर्ट** है।

यह विरोध प्रदर्शन **सर्वोच्च न्यायालय** के उस **निर्णय** के विरोध में है, जिसमें राज्यों को **अनुसूचित जातियों (SC)** और **अनुसूचित जनजातियों (ST)** के बीच **'क्रीमी लेयर'** की पहचान करने तथा उन्हें आरक्षण लाभ से बाहर करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य बिंदु

- **सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय सुनाया कि राज्यों को पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर **SC और ST को उप-वर्गीकृत** करने की संवैधानिक अनुमति है।
- **सात न्यायाधीशों की पीठ** ने निर्णय सुनाया कि राज्य अब सबसे वंचित समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिये **15% आरक्षण कोटे** के भीतर **SC को उप-वर्गीकृत** कर सकते हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय सुनाया है कि **'क्रीमी लेयर' सिद्धांत,** जो पहले केवल **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** पर लागू होता था (जैसा कि **इंद्रा साहनी मामले** में उजागर किया गया था), अब **SC** और **ST** पर भी लागू होना चाहिये।
- इसका अर्थ है कि राज्यों को **SC** और **ST** के भीतर **क्रीमी लेयर की पहचान** करनी चाहिये तथा उन्हें आरक्षण लाभों से बाहर करना चाहिये।

बंद, हड़ताल या इसी तरह के विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की संवैधानिकता

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 19(1)(c)** नागरिकों को **संघ या यूनियन बनाने का मौलिक अधिकार** देता है।
- **अनुच्छेद 19** अपने नागरिकों के अधिकारों, विशेष रूप से **भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** के अधिकार के संबंध में राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(a)** नागरिकों को **भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** का अधिकार देता है, जिसमें विभिन्न माध्यमों से राय, विश्वास एवं दृढ़ विश्वास व्यक्त करना शामिल है।
    - विचारों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के रूप में **प्रदर्शनों** को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित किया जाता है, बशर्ते वे अहिंसक और व्यवस्थित हों।
    - **हड़तालों** को **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।
- **अनुच्छेद 19** स्पष्ट रूप से नागरिकों को **हड़ताल, बंद या चक्का जाम** आयोजित करने का मौलिक अधिकार नहीं देता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-on-high-alert-amid-bharat-bandh